UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

का

नागरिक घोषणा पत्र (चार्टर)

www.ukpsc.gov.in

प्राक्कथन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में कृत्यों के संबंध में (Relating to the functions of Public Service Commission) की गई अपेक्षा के अनुरूप उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का नागरिक घोषणा–पत्र सामाजिक पटल पर प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है।

नागरिक घोषणा–पत्र हमारे उन प्रयासों, कार्यों तथा लक्ष्यों की अभिव्यक्ति है, जिन्हें प्राप्त किए जाने का स्वप्न भारतीय संविधान के निर्माताओं ने उदीयमान राष्ट्र के लिए देखा था तथा जिस अपेक्षा के अनुरूप हम विभिन्न चयन परीक्षाओं/साक्षात्कारों के दौरान अभ्यर्थियों में उनके मूल, जाति, धर्म, लिंग तथा व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर कोई विभेद नहीं करते तथा समस्त चयन प्रक्रियाओं को पूर्ण निष्पक्षता, उत्कृष्टता एवं पारदर्शिता से पूर्ण करते हुए अपने "परामर्श व संस्तुति" राज्य को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हम यह भी विश्वास दिलाते हैं कि आयोग निर्धारित कार्यों को स्थापित मानकों व मापदण्डों से पूर्ण करते हुए उनमें गुणात्मक वृद्धि करने का सतत् प्रयास करता रहेगा साथ ही यह भी निवेदन है कि नागरिक घोषणा–पत्र की सफलता समाज के प्रबुद्ध वर्ग से प्राप्त सक्रिय सहयोग तथा त्वरित फीड बैक पर निर्भर करेगी। इन्हीं आशाओं के साथ हम अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कृत संकल्प हैं।

(डॉ० डी०पी० जोशी)
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

नागरिक घोषणा पत्र (चार्टर)

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद–315(1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के महामहिम राज्यपाल की राजाज्ञा दिनांक 14.03.2001 द्वारा स्थापित एवं दिनांक 15.05.2001 से कार्यशील राजकीय सेवाओं में चयन हेतु संस्तुति प्रदान करने एवं सेवा सम्बन्धी विविध प्रकरणों पर राज्य सरकार को परामर्श प्रदान करने वाली शीर्ष संवैधानिक संस्था है। आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार और समुन्नति के लिए यह नागरिक घोषणा पत्र जारी किए जाने का निर्णय लिया गया है।

दृष्टि

राजकीय सेवाओं हेतु गुणवत्तायुक्त मानव संसाधन तथा सेवा सम्बन्धी प्रकरणों पर राज्य को इस प्रकार परामर्श उपलब्ध कराना ताकि कुशल, प्रभावी व संवेदनशील शासन व्यवस्था के संचालन में सहयोग प्रदान किया जा सके।

लक्ष्य

- राजकीय सेवा में भर्ती हेतु अधिकाधिक संख्या में युवा वर्ग तक वेबसाईट, समाचार पत्र व अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से पहुँच बनाना।
- राजकीय सेवा हेतु समाज के सभी वर्गों से उत्कृष्ट लोक सेवकों का चयन।
- निष्पक्ष व पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाकर लोक सेवकों में भावी सेवा के प्रति कर्तव्यपरायणता व निष्ठा का दृष्टिकोण पैदा करना।
- उत्कृष्टता की कसौटी पर आधारित चयन प्रक्रिया अपनाकर समाज में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार करना।
- राज्य को सेवा सम्बन्धी प्रकरणों में त्वरित व गुणवत्तापूर्ण परामर्श प्रदान करके सरकारी सेवा को सुचारू बनाए रखने में सहयोग देना।
- सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा कार्यप्रणाली को सरल, त्रुटिरहित व उपयोगकर्ता के अनुकूल (User Friendly) बनाना।

हमारे मुख्य कार्यकलाप तथा सेवाएं

आयोग के कार्य संचालन के प्रमुख स्त्रोत भारत का संविधान (अनु. 315–323), शासन से निर्गत नियमावलियां, विनियम, आयोग का मैनुअल, समय–समय पर आयोग द्वारा पारित निर्णय, आयोग अधिष्ठान विषयक् नियमावलियां, व आयोग से सम्बन्धित अन्य शासनादेश हैं।

संविधान के अनु.–320 के अन्तर्गत आयोग द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैं :–

(1) चयन से सम्बन्धित कार्य–

(क) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा

(ख) केवल लिखित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा

(ग) केवल साक्षात्कार द्वारा

(घ) प्रोन्नति द्वारा

(2) अन्य कार्य :–

(क) राज्य सेवाओं की सेवा नियमावलियों के प्रख्यापन के पूर्व आयोग का परामर्श

(ख) अनुशासनिक प्रकरणों पर परामर्श

(ग) सेवा संबंधी अन्य कोई प्रकरण जो शासन द्वारा आयोग को परामर्श हेतु संदर्भित किया जाय।

(1) (क) लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा:– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग विभिन्न राज्य सेवाओं में चयन के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है, जिनमें मुख्य हैं:–

1. उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, (सिविल सेवा– कार्यकारी सेवा, पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी, सहायक आयुक्त वाणिज्यकर, सहायक निरीक्षक उद्योग, खण्ड विकास अधिकारी, सहायक कमान्डेण्ट होमगार्ड, उपनिबन्धक –स्टाम्प एवं पंजीकरण, कृषि अधिकारी, उद्यानिकी अधिकारी, सूचना अधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी),
2. उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा,
3. सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा,
4. सहायक अभियन्ता परीक्षा,
5. संयुक्त अवर/कनिष्ठ अभियंता परीक्षा,
6. सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा,
7. वनक्षेत्राधिकारी परीक्षा,
8. सहायक कुलसचिव,
9. आर0आई0/ए0आर0आई0 परिवहन।

(ख) केवल लिखित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा:– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग विभिन्न राज्य सेवाओं में चयन के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है, जिनमें मुख्य हैं:–

1. समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी,
2. अपर निजी सचिव परीक्षा।

(ग) केवल साक्षात्कार द्वाराः– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग विभिन्न राज्य स्तरीय सेवाओं में चयन के लिए साक्षात्कार आयोजित करता है, जिनमें मुख्य हैं:–

1. प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कॉलेज / राजकीय महाविद्यालय,
2. चिकित्सा अधिकारी ऐलोपैथिक / आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथिक,
3. दन्त शल्यक,
4. पशुचिकित्सा अधिकारी / चारा विकास अधिकारी,
5. अर्थ एवं संख्या अधिकारी / निरीक्षक,
6. जिला क्रीड़ा अधिकारी / उप क्रीड़ा अधिकारी / सहायक प्रशिक्षक।

(घ) प्रोन्नति द्वाराः– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग विभिन्न सेवाओं के उन पदों पर प्रोन्नति द्वारा चयन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली–2003 के अनुसार करता है, जिन पर सामान्यतः सीधी भर्ती द्वारा चयन उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। इस प्रकार समूह 'ग' से 'ख', समूह 'ख' के अन्तर्गत (अर्थात् समूह 'ख' से 'ख' में ही) तथा समूह 'ख' से समूह 'क' की सेवा में प्रोन्नति की जाती है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यगण विभागीय प्रोन्नति समिति (डी0पी0सी0) की बैठक की अध्यक्षता करते है तथा सम्बन्धित पद के नियुक्ति प्राधिकारी व शासन के ज्येष्ठ अधिकारी बैठक में सदस्य के रूप में सम्मिलित होते है। प्रोन्नति द्वारा चयन का मापदण्ड सम्बन्धित पद की सेवानियमावली के अनुसार निर्धारित होता है। आयोग द्वारा जिन पदों पर प्रोन्नति द्वारा चयन किया जाता है उनमें मुख्य है :–

1. सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा)
2. पुलिस उपाधीक्षक
3. सहायक आयुक्त वाणिज्यकर
4. सहायक श्रमायुक्त
5. सहायक परिवहन अधिकारी
6. जिला आबकारी अधिकारी
7. मुख्य अग्निशमन अधिकारी
8. उपप्रधानाचार्य
9. प्रवक्ता, राजकीय इण्टर कॉलेज

(2) (क) राज्य सेवाओं की सेवा नियमावलियों के प्रख्यापन के पूर्व आयोग का परामर्श :– शासन द्वारा राज्य सेवा के उन पदों की सेवानियमावलियां जिनमें आयोग की परिधि के पद विद्यमान होते है, उनमें परिवर्तन अथवा नवीन उपबन्ध जोड़े जाने की स्थिति में आयोग से परामर्श प्राप्त किया जाता है।

(ख) अनुशासनिक प्रकरणों पर परामर्श :–

राज्य सरकार द्वारा सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के सेवा सम्बन्धी अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरणों पर दण्ड आरोपित किये जाने से पूर्व आयोग से परामर्श प्राप्त किया जाता है। आयोग द्वारा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 के सुसंगत प्राविधानों के अधीन परामर्श प्रदान किया जाता है।

(ग) सेवा सम्बन्धी अन्य प्रकरण :–

राज्य सरकार द्वारा आयोग की परिधि के अन्तर्गत आने वाले पदों में सेवा सम्बन्धी विविध विषयों पर, जहां आवश्यक हो, परामर्श प्राप्त किया जाता है।

चयन प्रक्रिया

* सभी परीक्षाओं का विज्ञापन उत्तराखण्ड के प्रमुख हिन्दी तथा अंग्रेजी के दैनिक समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जाता हैं। यह सम्पूर्ण सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर भी उपलब्ध करायी जाती हैं।

* जिन पदों हेतु वृहद् संख्या में आवेदन प़त्र प्राप्त होने की संभावना होती है, उनमें ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र सम्पूर्ण राज्य के विनिर्दिष्ट डाकघरों में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। आवेदन प्रपत्र भरने के लिए अनुदेश, आवेदन प्रपत्र के साथ सूचना पुस्तिका के रूप में उम्मीदवारों को उपलब्ध कराए जाते हैं। आवेदन पत्र को एक बार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में जमा करा दिए जाने के पश्चात उसमें किसी भी परिवर्तन/फेरबदल की अनुमति नहीं दी जाती है।

* ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र व परम्परागत आवेदन पत्र भरने के अनुदेश आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किये जाते है। इससे अभ्यथियों को आवेदन पत्र भरने के सम्बन्ध में समुचित सूचना एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता है तथा त्रुटियों की सम्भावना न्यून हो जाती है।

* प्राप्त आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा विज्ञापन की शर्तों के आधार पर की जाती है (सन्निरीक्षा सम्बन्धी नियम व अनुदेश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) तथा उक्तानुसार अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों को अस्वीकृत ज्ञाप एवं अर्ह घोषित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार की सूचना हेतु कार्यालय ज्ञाप प्रेषित किया जाता है। अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाती है।

* लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के सम्बन्ध में सूचना विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाती है।

* आयोग द्वारा घोषित चयन परिणाम विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों के साथ–साथ वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक भी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना प्रारम्भ किया जा रहा है।

- **आरक्षण सम्बन्धी प्राविधान** :– आयोग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित शासनादेशों के अनुसार विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों को आरक्षण प्रदान करता है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के आरक्षण सम्बन्धी उन्हीं दावों को स्वीकार किया जाता है जो आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरे जाते है तथा जिनके समर्थन में सक्षम प्राधिकृत स्तर से जारी प्रमाण–पत्र संलग्न होते है।

* **ऑनलाईन आवेदन** :– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों हेतु इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमन्त्रित किये जाने हेतु System Of Online Application & Processing (SOAP) विकसित किया गया है। शीघ्र ही इसे आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में लागू किया जायेगा। इसके माध्यम से अभ्यर्थी सीधे इन्टरनेट पर आवेदन पत्र भर सकेगें तथा आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा का कार्य त्वरित गति से सम्पन्न होगा।

* **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी** :– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सूचनाओं के तीव्र प्रवाह एवं पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक प्रयोग कर रहा है। इस क्रम में आयोग में इन्टरनेट लीज लाईन की स्थापना की गयी है तथा अभ्यर्थियों को रिजल्ट इंक्वायरी व प्रवेश–पत्र डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गयी है।

हमारे स्तर/मानदण्ड

हम आयोग द्वारा प्रदत्त सेवाओं में निम्नलिखित समय–मानक अपनाएंगे –

- सीधी भर्ती के ऐसे प्रकरण जिसमें मात्र साक्षात्कार द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी की जानी है, **विधिक अड़चन न होने की दशा में**, आयोग में अधियाचन (रिक्तियों के सम्यक् विवरण, आरक्षण की पूर्ण स्थिति व अद्यतन सेवा नियमावली सहित) प्राप्ति की तिथि से पद एवं अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए 09 महीने के अन्तर्गत निस्तारण,
- सीधी भर्ती के ऐसे प्रकरण जिसमें मात्र स्क्रीनिंग टेस्ट तथा साक्षात्कार द्वारा चयन प्रक्रिया पूरी की जानी है, **विधिक अड़चन न होने की दशा में**, आयोग में अधियाचन (रिक्तियों के सम्यक् विवरण, आरक्षण की पूर्ण स्थिति व अद्यतन सेवा नियमावली सहित) प्राप्ति की तिथि से 18 महीने के अन्तर्गत निस्तारण,
- सीधी भर्ती के ऐसे प्रकरण जिसमें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार किया जाना हो, **विधिक अड़चन न होने की दशा में**, अधियाचन (रिक्तियों के सम्यक् विवरण, आरक्षण की पूर्ण स्थिति व अद्यतन सेवा नियमावली सहित) प्राप्ति के 24 महीने के अन्तर्गत निस्तारण,
- विभागीय प्रोन्नति के त्रुटि रहित प्रकरण में **विधिक अड़चन न होने की दशा में**, आयोग में अधियाचन (रिक्तियों के सम्यक् विवरण, आरक्षण की पूर्ण स्थिति व अद्यतन सेवा नियमावली सहित) प्राप्त होने की तिथि से 03 महीने के अन्तर्गत निस्तारण,

- सेवा नियमावली विषयक प्राप्त त्रुटि रहित सन्दर्भों का निस्तारण, **विधिक अड़चन न होने की दशा में**, आयोग में प्राप्त सन्दर्भ की तिथि से 02 महीने के अन्तर्गत निस्तारण,
- शासन द्वारा प्रेषित अनुशासनात्मक कार्यवाही विषयक परामर्श के परिपक्व प्रकरणों (त्रुटि रहित) का **विधिक अड़चन न होने की दशा में**, 02 महीने के अन्तर्गत निस्तारण,
- सूचना के अधिकार सम्बन्धी प्रार्थना–पत्रों का अधिनियम में विहित अवधि, 01 महीने के अन्तर्गत निस्तारण तथा अपीलों का निर्देशित अवधि के अन्तर्गत।
- न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन न्यायालय द्वारा निर्देशित अवधि के अन्तर्गत।

हमारी प्रतिबद्धता/वचनबद्धता

हम प्रयास करेंगे कि :–

- संविधान के अनुच्छेद–16 की भावना के अनुरूप लोक नियोजन में सभी को अवसर की समता, युक्तियुक्त प्रतिबन्धों के अधीन प्राप्त हो।
- निष्पक्ष व पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाकर राजकीय सेवाओं हेतु श्रेष्ठतम मानव संसाधन आकर्षित किया जा सके।
- त्वरित व समयबद्ध चयन प्रक्रिया अपनाकर राजकीय सेवाओं में पद रिक्तता की स्थिति को न्यून किया जा सके।
- नियमानुकूल, न्याय संगत व तार्किक परामर्शदायी प्रक्रिया द्वारा सेवा सम्बन्धी प्रकरणों में लोक सेवा का श्रेष्ठतम स्तर बनाये रखा जा सके।
- सरकारी सेवकों की प्रोन्नति आदि हितलाभों के सम्बन्ध में समयबद्ध कार्यवाही करके सेवा की स्थितियों को उत्साहजनक बनाये रखा जा सके।
- अपना कार्य निष्पादन
  - ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के साथ न्यायसम्मत विधि एवं तरीकों से करेंगे।
  - निष्पक्षापूर्वक उचित रूप से करेंगे।
  - विनम्रता तथा समझदारीपूर्वक करेंगे।
  - वस्तुनिष्ठता तथा पारदर्शितापूर्वक करेंगे।
  - तत्परता तथा दक्षतापूर्वक करेंगे।

हमारी अपेक्षाएं

नागरिकों से हम निम्नवत् अपेक्षाएं करते है –

- लोक नियोजन प्राप्त करने हेतु सदैव आयोग द्वारा निर्धारित मानक एवं प्रक्रिया का पालन करें।
- लोक नियोजन प्राप्त करने हेतु सदैव अपनी अर्हता एवं वांछित अनुभव के आधार पर पद का चुनाव/आवेदन करें।
- लोक नियोजन के सम्बन्ध में किसी सिफारिश या छद्म/कूट दस्तावेजों का सहारा न लें।
- लोक नियोजन हेतु समस्त तथ्य सही रूप में आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।
- बिना अभिलेखीय/विधिक साक्ष्यों के अनावश्यक दोषारोपण से बचें।

परिवाद एवं शिकायतें

आयोग की कार्यप्रणाली को अधिकाधिक प्रभावी व नागरिक उन्मुख बनाने के लिए आयोग में सूचना सुविधा केन्द्र/पटल कार्यरत है। इस केन्द्र/पटल पर आयोग के क्रियाकलापों से सम्बन्धित सूचनाएं अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जाती हैं। समाचार पत्रों एवं वेबसाइट में चयन सम्बन्धी विज्ञापनों के विषय में किसी भी बिन्दु पर स्पष्टीकरण/निर्वचन भी उन अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जाता है, जो सूचना सुविधा केन्द्र/पटल पर पूछताछ हेतु आते हैं। आयोग कार्यालय द्वारा निम्नलिखित दूरभाष नं0 पर भी अभ्यर्थियों को उपरोक्त सूचनाएं उपलब्ध करायी जाती है :–

01334–242331, 242332, 244143, 244282

Website: www.ukpsc.gov.in

सुझाव एवं शिकायत पेटिका :–

नागरिकों से आयोग से सम्बन्धित सुझाव एवं शिकायत आमन्त्रित किये जाने हेतु "सुझाव एवं शिकायत पेटिका" स्थापित की गयी है।

उक्त पेटिका के माध्यम से प्राप्त सुझावों एवं शिकायतों को 15 कार्य दिवसों में सक्षम स्तर से संसाधित एवं निस्तारित किया जाता है।

शिकायत एवं निवारण तंत्र :–

शिकायत एवं निवारण तंत्र आयोग की कार्यप्रणाली का अभिन्न अंग है। यह स्थापित है कि केवल एक कुशल और प्रभावी शिकायत एवं निवारण तंत्र ही नागरिकों के प्रति जवाबदेही निर्धारित कर सकता है। इसके अलावा यह आयोग की गतिविधियों को संशोधित एवं परिवर्धित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया तंत्र भी है।

शिकायत एवं निवारण तंत्र नागरिकों की शिकायतों को संभालने के लिए आयोग में स्थापित किया गया है। इस तंत्र के द्वारा आयोग, कार्य में विलम्बन के क्षेत्रों की पहचान तथा नियमों, विनियमों, निर्देशों और प्रक्रियाओं की समीक्षा इस दृष्टिकोण के साथ करता है कि इन्हें नागरिको के प्रति अधिकाधिक पारदर्शी, जवाबदेह व सद्भावपूर्ण बनाया जा सके तथा नियमित आधार पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। शिकायत एवं निवारण तंत्र के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय तुरन्त सम्बन्धित व्यक्ति/संगठन को संचारित कर दिये जाते है।

आयोग में शिकायत निवारक अधिकारी का पदनाम व पता :–

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
गुरुकुल कांगड़ी,
हरिद्वार – 249404